



2026:AHC-LKO:46-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****विशेष अपील संख्या - 1065 सन 2005**

रूप नारायण द्विवेदी

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	पी.के. खरे, हर गोविंद सिंह परिहार, मीनाक्षी सिंह परिहार, प्रशांत कुमार सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

.....सह संबद्ध 3 अन्य वाद

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.जी.एस. परिहार और उनके साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला को सुना।
2. दोनों पक्षों की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए और उसे खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक ओर तो यह टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी नियुक्ति प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) (द्वितीय) आदेश, 1981 (जिसे आगे 'आदेश, 1981' कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद, आक्षेपित निर्णय में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह टिप्पणी की गई है कि - 'यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि यह एक स्थायी रिक्ति थी जो श्री के.एन. मेहरोत्रा की 30.06.1993 को सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) (द्वितीय) आदेश, 1981 केवल छुट्टी मिलने या शिक्षक के निलंबन के कारण उत्पन्न अल्पकालिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रदान करता है। याचिका में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देकर भरी गई रिक्ति अल्पकालिक थी। यह रिक्ति किसी शिक्षक की छुट्टी या निलंबन के कारण उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त निष्कासन आदेश में नियुक्ति देने की प्रक्रिया भी दी गई है। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि उस प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रबंधन को उस स्थायी पद पर नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था जिस पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी गई थी।

3. इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता कि आदेश, 1981 के प्रावधान स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए लागू नहीं होंगे। यदि रिक्ति स्थायी थी, तो जिस समय विज्ञापन इसे भरने के लिए जारी किया गया था, अर्थात् 14.11.1992 को, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1982 की असंशोधित धारा 18 लागू थी, जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति भी तदर्थ आधार पर की जा सकती थी, इसलिए, रिट न्यायालय की टिप्पणियाँ असंगत हैं। दरअसल, रिट न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि क्या वह रिक्ति स्थायी थी, यदि हां, तो क्या 14.11.1992 को जारी किया गया विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1982 की धारा 18 और उससे संबंधित नियमों (यदि कोई हो) के प्रावधानों के अनुरूप था, और क्या उक्त विज्ञापन में केवल यह उल्लेख करना कि प्रस्तावित नियुक्ति अल्पकालिक है, तथ्यात्मक पहलू पर कोई फर्क पड़ेगा, यदि अंततः यह पाया जाता है कि रिक्ति स्थायी थी और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1982 की धारा 18 के तहत इसे भरने का प्रावधान था। बेशक, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1982 की धारा 18 के तहत ऐसे स्थायी रिक्त पदों को भरने का तरीका और प्रक्रिया क्या थी, विज्ञापन जारी होने के समय, यह भी रिट न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, हम रिट याचिका संख्या 740 (एस/एस) 1994 (रूप नारायण द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में राज्य द्वारा दायर प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के प्रस्तर संख्या 3 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें 14.07.1992 के एक सरकारी आदेश का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रबंधन समिति के पास नियमित नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था और स्थायी नियुक्ति आदेश, 1981 के तहत नहीं की जा सकती थी। बेशक, 14.07.1992 का सरकारी आदेश अभिलेख में नहीं लाया गया है। इसके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अलावा, यह भी कहा गया है कि संस्था में कार्यरत व्याख्याताओं की संख्या स्वीकृत संख्या या उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। इन पहलुओं पर भी रिट न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

4. विशेष अपील संख्या 1066/2005 (संजय कुमार त्रिपाठी सह संबद्ध रिट याचिका संख्या 742एसएस1994 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं 3 अन्य) के संबंध में भी स्थिति समान है। अंतर केवल इतना है कि उक्त अपील में प्रतिवादी को सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि विशेष अपील संख्या 1065/2005 में अपीलकर्ता को व्याख्याता (अंग्रेजी) के रूप में नियुक्त किया गया था।

5. बेशक, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क है कि बाद में दोनों अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए कुछ प्रक्रिया की गई थी, लेकिन वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उन्हें नियमित करने या उनके दावे को अस्वीकार करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया था या नहीं। इस स्तर पर, श्री परिहार, जो उपरोक्त अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए हैं, कहते हैं कि संबंधित अपील में, विशेष अपील संख्या 1066/2005 में, नियमितीकरण के दावे को अस्वीकार करने का आदेश है, जिसे उक्त अपीलकर्ता ने एक अलग रिट याचिका दायर करके चुनौती दी है।

6. फिर भी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कई प्रासंगिक मुद्दों पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या रिक्ति स्थायी थी, यदि हां, तो क्या प्रबंधन समिति के पास उक्त रिक्ति को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने का कोई अधिकार था और वह प्रावधान क्या था जिसके तहत ऐसा किया जा सकता था। यदि किसी प्रावधान के तहत ऐसा कोई अधिकार था, तो क्या उक्त प्रावधान को लागू करने की पूर्वशर्त पूरी की गई थी या नहीं और उसके बाद, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी-राज्य के पक्ष सहित सभी प्रासंगिक दलीलों पर विचार करते हुए एक सुविचारित निर्णय लिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने स्वयं यह दावा किया था कि नियुक्ति आदेश, 1981 के तहत थी, लेकिन यह संभवतः विज्ञापन में उल्लिखित शर्त के कारण हो सकता है। अब, श्री परिहार कहते हैं कि वास्तव में ऐसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1982 की धारा 18 के अंतर्गत आती है, जैसा कि यह वर्ष 1992/1993 में लागू थी। उन्होंने हमारा ध्यान डी.आई.ओ.एस. के दिनांक 05.08.1998 के पत्र की ओर दिलाया है, जिसके द्वारा उन्होंने संस्था के प्रबंधक से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1982 की धारा 18 के अंतर्गत की गई नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने हमारा ध्यान उप शिक्षा निदेशक के दिनांक 12.12.1997 के पत्र की ओर भी दिलाया है, जिसके द्वारा डी.आई.ओ.एस., कानपुर नगर ने न्यायालय के दिनांक 11.02.1994 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया। इन सभी पहलुओं पर रिट न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

7. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि दोनों अपीलकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है, लेकिन विशेष अपील संख्या 1066/2005 के अपीलकर्ता को शैक्षणिक सत्र के अंत तक, यानी 31.03.2026 तक, कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है। अपीलकर्ता नियमितीकरण का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे दावे पर विचार करने के लिए, साथ ही राज्य कोष से वेतन के उनके दावे पर विचार करने के लिए, जो उन रिट याचिकाओं में शामिल था जिनसे ये अपीलें उत्पन्न हुई हैं, सर्वप्रथम नियुक्ति की वैधता देखी जानी आवश्यक है। ऐसे किसी भी दावे पर तभी विचार किया जा सकता है जब प्रारंभिक नियुक्ति वैध हो।

8. इन सभी कारणों से, हम दोनों अपीलों में आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं, परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाएं बहाल की जाती हैं और 02.02.2026 को रिट न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जाएंगी।

9. इस स्तर पर, श्री परिहार कहते हैं कि रिट याचिकाओं में कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है ताकि 11.05.1994 के उस आदेश को चुनौती दी जा सके जो अपीलकर्ताओं के अभ्यावेदन पर पारित किया गया हो, इसलिए, अपीलकर्ताओं को कानून के अनुसार ऐसे संशोधन की मांग करने की छूट है।

10. तदनुसार, अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 5, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।